(144)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक II/निगरानी/सीहोर/भू.रा./2018/2482 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.03.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 358/अपील/2017-18.

श्रीमती दुर्गावती उर्फ दुर्गाबाई पुत्री
स्व. श्री रामप्रसाद पत्नी श्री परसराम
निवासी ग्राम मोईलीखुर्द
तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. शिवचरण आ. स्व. श्री रामप्रसाद
2. रमाशंकर आ. स्व. श्री रामप्रसाद
3. राजेश आ. श्री रमाशंकर
4. राकेश आ. श्री रमाशंकर
5. रघुवीर आ. श्री शिवचरण
6. अर्जुन आ. श्री शिवचरण
7. बलराम आ. श्री शिवचरण
8. श्रीमती लीलाबाई पत्नी स्व. उमाशंकर
9. परमानन्द आ. स्व. उमाशंकर
   निवासीगण ग्राम सौठी, तह. श्यामपुर
   जिला सीहोर, म.प्र.
10. भागशिला पुत्री स्व. उमाशंकर पत्नी श्री राजेश
    निवासी ग्राम मून्डलाचन्द पोस्ट बबडिया,
    तहसील बैरसिया, जिला भोपाल, म.प्र.
11. संतोषबाई पुत्री स्व. उमाशंकर पत्नी श्री हुकुमसिंह
    निवासी ग्राम बम्होरा पोस्ट करेला,
    तहसील एवं जिला विदिशा, म.प्र.
12. पप्पीबाई पुत्री स्व. उमाशंकर पत्नी श्री मेहताबसिंह
    निवासी ग्राम इमलिया पोस्ट बींज, तह. शमसाबाद

जिला विदिशा, म.प्र.

13.रामकुंवरबाई पुत्री स्व. श्री रामप्रसाद पत्नी श्री धनलाल
निवासी ग्राम नापली तहसील एवं जिला सीहोर, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक, आवेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 10

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सौंठी, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर की वादग्रस्त भूमि के संबंध में संशोधन पंजी क्र. 19 आदेश दिनांक 11.06.2000 द्वारा बंटवारा किया गया। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सीहोर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 125/अपील/2016-17 दर्ज कर आदेश दिनांक 30.08.2017 से अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.03.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रकरण में निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि स्व. रामप्रसाद की पैतृक सम्पत्ति थी। आवेदिका एवं अनावेदकगण स्व. श्री रामप्रसाद के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं। इसलिए प्रश्नाधीन भूमि पर सभी वैधानिक उत्तराधिकारियों समान अधिकार था, परंतु विवादित पंजी क्र. 19 प्रमाणीकरण दिनांक11.06.2000 के द्वारा आवेदिका को बटवारे सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व उक्त महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, परंतु

अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई तकनीकी त्रुटियों के आधार पर आवेदिका को उसके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया गया है।

(2) अधिनियम की धारा 178 के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान हैं कि "यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के आधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमि स्वामी हों तो उनमें से कोई भी स्वामी उस खाते के अपने अंश के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेद कर सकेगा।" उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि भूमि कर बंटवारा करने के लिए सहखातेदार होना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में केवल श्री रामप्रसाद के नाम पर दर्ज थी। आवेदक तथा अनावेदकगण का नाम सहभूमि स्वामी के रूप में उक्त भूमि पर दर्ज नहीं था। इसलिए अधीनस्थ तहसील न्यायालय को अनावेदकगण के पक्ष में पंजी पर बंटवारा करने की अधिकारिता नहीं थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण को विचार किये बिना विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(3) अधिनियम की धारा 178-ए(1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि "जब कभी भूमि स्वामी अपने जीवनकाल में उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों के बीच अपनी कृषि भूमि का बंटवारा करना चाहता है, तो वह तहसीलदार को बंटवारा के लिए आवेदन कर सकेगा।" अधिनियम की धारा 178-ए(1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिस्वामी को बंटवारा करने के लिए तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण या बंटवारे के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना बंधनकारी है परंतु आवेदिका, अनोवदिका क्र. 1, 2, 13 पिता तथा अनावेदक क्र. 3 लगायत 7, अनोवदक क्र. 9 लगातय 12 के दादा तथा अनावेदक क्र. 8 के ससुर श्री रामप्रसाद द्वारा विवादित बंटवारे के संबंध में तहसील न्यायालय के समक्ष नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वार भी अधिनियम की धारा 178-ए(1) में दिये गये प्रावधानों का पालन किये बिना विवादित बंटवारे की कार्यवाही को प्रमाणित करने में त्रुटि की गई। इसलिए वरिष्ठ न्यायालय होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वैधानिक प्रावधानों पर नियमानुर विचार करते हुए प्रकरण में आदेश पारित चाहिए था,परंतु अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के मान्य प्रावधानों पर नियमानुसार विचार करते हुए प्रकरण में आदेश पारित किये बिना केवल तकनीकी बिंदुओं के आधार पर विवादित आदेश पारित किया गया है।

(4) अधिनियम की धारा 178-ए(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि "तहसीलदार, वैध वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात् खाते का बंटवारा कर सकेगा और संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार खाते के निर्धारण का प्रभाजन कर सकेगा।" किये जाने से पूर्व

भूमिस्वामी के वैधानिक वारिसों को सुना जाना आवश्यक है। प्रकरण में यह अविवादित तथ्य है कि आवेदक स्व. श्री रामप्रसाद की पुत्री होकर उनकी वैधानिक उत्तराधिकारी है, परंतु अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा विवादित कार्यवाही किये जानेसे पूर्व सभी वैधानिक वारिसों को सुनवाई का कोई अवसर न देकर अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के मान्य प्रावधानों पर नियमानुसार विचार किये बिना केवल तकनीकी बिंदुओं के आधार पर विवादित आदेश पारित किया गया है।

(5) प्रकरण की नस्ती में संलग्न संशोधन पंजी के अवलोकन, विधि के प्रावधानों के आधार पर यह प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप नामांतरण एवं बंटवारे की कार्यवाही सम्पादित की गई है। संशोधन पंजी के साथ ऐसे कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि नामांतरण एवं बंटवारे की कार्यवाही के संबंध में नियमानुसार वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया हो। अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के विरूद्ध समय सीमा व्यतीत होने के उपरांत कार्यवाही किये जाने से किसी भी पक्षकार को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनावेदकगण द्वारा आवेदिका को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए ऐसे अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण कार्यवाही पर समयसीमा की बाध्यता लागू नहीं होती है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के मान्य प्रावधानों पर नियमानुसार विचार किये बिना केवल तकनीकी बिंदुओं के आधार पर विवादित आदेश पारित किया गया है।

(6) प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि नामांरण एवं बंटवारे की कार्यवाही एक साथ पंजी पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि अधिनियम में नामांतरण एवं बंटवारे की कार्यवाही के लिए पृथक-पृथक प्रावधान दिये गये हैं। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा भी अनेकों न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं, परंतु अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप नामांतरण एवं बंटवारे की कार्यवाही एक साथ पंजी पर की गई है। इसलिए अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा संशोधन पंजी क्र. 19 में की गई अवैधानिक कार्यवाही को किसी स्तर पर उचित नहीं माना जा सकता है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधन पंजी क्र. 19 में की गई अवैधानिक कार्यवाही को नजरअंदाज करते हुए केवल अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई तकनीकी त्रुटि के आधार पर विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(7) प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक एवं अनावेदक की पैतृक सम्पत्ति है तथा उक्त संपूर्ण भूमि के संबंध में उभय पक्षों को समान अधिकार प्राप्त हैं तथा वैधानिक उत्तराधिकारी होने के आधार पर अनावेदक के समान ही आवेदक को भी पैतृक सम्पत्ति को प्राप्त करने का जन्म से अधिकार प्राप्त होता है तथा अपने अधिकार का प्रयोग वह जीवित रहते कभी भी कर सकती है तथा अनावेदकगण द्वारा भी इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवेदक को उनके समान ही पैतृक भूमि में से हिस्सा पाने का अधिकार क्यों नहीं है। अनावेदकगण द्वारा अवैधानिक कार्यवाही के आधार पर आवेदक को उसके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया गया है, परंतु विलंब एवं त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के मान्य प्रावधानों पर नियमानुसार विचार किये बिना केवल तकनीकी बिंदुओं के आधार पर विवादित आदेश पारित किया गया है।

(8) अधिनियम में नामांतरण एवं बंटवारे के संबंध में स्पष्ट प्रावधान एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसलिए विचारण न्यायालय को नामांतरण एवं बंटवारे की कार्यवाही करने से पूर्व वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है, परंतु अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अनावेदकगण द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिनके आधार पर यह प्रमाणित हो सके कि तहसील न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर नामांतरण या बंटवारे की कार्यवाही करने से पूर्व वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अनावेदकगण का नाम दर्ज किया गया है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के मान्य प्रावधानों पर नियमानुसार विचार किये बिना केवल तकनीकी बिंदुओं के आधार पर विवादित आदेश पारित किया गया है, जो कि प्रथमदृष्टया ही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है।

(9) आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सद्भावनापूर्वक अपील प्रस्तुत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व यदि कोई तकनीकी त्रुटि की गई थी, तो ऐसी तकनीकी त्रुटि के लिए आवेदिका को दण्डित नहीं किया जा सकता है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में हुए संशोधन के उपरांत अपीलीय न्यायालयों को अधिनियम की धारा 49(3) में प्रकरण के नियमानुसार निराकरण हेतु अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने की अधिकारिता दी गई है। इसलिए अनावेदकगण अधिनियम की धारा 49(3) के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने पक्ष समर्थन में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते थे तथा अधीनस्थ न्यायालय का भी यह न्यायिक कर्तव्य था कि प्रकरण के नियमानुसार निराकरण हेतु उभय पक्षों को अधिनियम की धारा 49(3) आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के उपरांत ही प्रकरण का निराकरण करते, परंतु अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण माना जा सके, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित आधार के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए विववादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(10) विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि राजस्व न्यायालयों को स्वत्व का निर्धारण करने की अधिकारिता नहीं है। स्वत्व का निर्धारण करने की अधिकारिता केवल व्यवहार न्यायालय को है, परंतु तहसील न्यायालय द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर स्वत्व के आधार पर बंटवारे की कार्यवाही की गई है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई हैं।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 10 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया। शेष अनावेदकगण के पूर्व से एकपक्षीय रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन पैतृक सम्पत्ति का विभाजन उभय पक्ष के मध्य विधिवत किया गया है। तहसील न्यायालय द्वारा संशोधन पंजी में पारित आदेश दिनांक 11.06.2000 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 21.03.2016 को विलंब से प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक पक्ष को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है। इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा विवेचना उपरांत विधिसंगत आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर